न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
31/2024	दावा 88 RTA	24.04.2024	16.01.2025

1. शुभकरण पुत्र पेमा राम प्रजापत निवासी गुसाई जी के मन्दिर के पास, कड़वासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री अनन्तराम सोनी, विनोद कुमार सोनी वादीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी की सहखातेदारी कृषि भूमि वाके रोही ग्राम कड़वासर पटवार हल्का सहजूसर भू.अ.नि. क्षेत्र झारिया तहसील व जिला चूरू के नाम से रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज हैं जमाबंदी (खेवट/खतोनी) सम्वत 2070—2073 खाता सं. नया 241 खाता सं. पुराना 241 के अनुसार खसरा नं. 157/461 व 158 कुल खसरो 2 तादादी 3.1490 हैक्टेयर जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा हैं बारानी की खातेदारी रेवेन्यु रिकॉर्ड में सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कड़वाससर पटवार हल्का सहजूसर भू.अ.नि. झारिया तहसील व जिला चूरू के नाम से रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज हैं उपर्युक्त कृषि भूमि वादी के 1/12 हक हिस्सा की भूमि वादी के कब्जा एवं अधिकार में हैं जिन पर वह स्वयं की काश्त करता हैं।

वादी के पिता पेमा राम प्रजापत की बमुकाम कड़वासर में दिनांक 09.12.2001 को स्वर्गवास हो गया जिनकी मृत्यु उपरांत उक्त कृषि भूमि का इंतकाल पेमा राम के वारिसान के नाम दर्ज हो गया किन्तु रेवेन्यु रिकॉर्ड में अधिकारी की गलती से वादी का स्वयं का नाम गलती से शुभकरण पुत्र पेमा की जगह सुभाष पुत्र पेमा अंकित हो गया शुभकरण वादी जिसे परिवार के जन सुभाष नाम से भी पुकारते हैं वादी का नाम वादी के आधार कार्ड, विधानसभा निर्वाचन नामावली आदि में शुभकरण पुत्र पेमाराम प्रजापत हैं न कि सुभाष पुत्र पेमाराम हैं इस प्रकार वादी के दस्तावेजी सही नाम शुभकरण के स्थान पर सहब से रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबन्दी में सुभाष पुत्र पेमा अंकित हो गया।

वादी शुभकरण पुत्र पेमा राम प्रजापत अपनी कृषि भूमियों पर माननीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना चाहता है जो खातेदारी में गलत नाम सुभाष दर्ज होने की वजह से प्राप्त करने में असमर्थ है जिस वजह से वह उक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है तथा वादी को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आयें इस कारण वादी रेवेन्यु रिकॉर्ड में अपने स्वयं के गलत नाम सुभाष पुत्र पेमा की जगह सही नाम शुभकरण पुत्र पेमाराम प्रजापत दर्ज करवाना चाहता है जिस हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:56 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने तहसीलदार महोदय, चूरू व पटवार हल्का सहजूसर, चूरू से सम्पर्क किया तथा अपने स्वम् का सही नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज करने कि लिए निवेदन किया तो उन्होंने माननीय सक्षम न्यायालय में नाम दुरूस्ती हेतु दावा प्रस्तुत किया है।

अतः दावा वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्नानुसार अनुतोष प्रदान किया जावेः–

(क) रेवेन्यु रिकॉर्ड, जमाबंदी आदि में खातेदरा वादी शुभकरण स्वम् जिसका नाम गलती से रेवेन्यु रिकॉर्ड में सुभाष पुत्र पेमा अंकित हैं को दुरूस्त कर शुभकरण पुत्र पेमाराम प्रजापत दर्ज किये जाने का आदेश व डिक्री की जावे तथा तहसीलदार, चूरू को इस हेतु निर्देश दिये जावें कि वे रेवेन्यु रिकॉर्ड में उपरोक्त लिखे अनुसार नाम दुरूस्ती करें।

(ख) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो वादी के हक का हो/भविष्य में हो जावें प्रदान किया जायें।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। पैरोकार राज को हिदायत दी गई कि नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें जिस पर पैरोकार राज द्वारा पटवारी हल्का सहजूसर से रिपोर्ट लेकर पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि रोही कड़वासर के ख.नं. 157/461 व 158 तादादी तादादी 3.1490 हैक्टेयर जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा की कृषि भूमि में वादी के पिता पेमा पुत्र माला का स्वर्गवास होने के बाद जो विरासतन इन्तकाल 311 दिनांक 01.01.2001 दर्ज हुआ उसमें वादी का नाम सुभाष पुत्र पेमा दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम शुभकरण पुत्र पेमाराम है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से उसे केसीसी, कृषि मुआवजा, प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि व अन्य राजकीय योजनाओं का लाभ लेने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने वादगत कृषि भूमि में अपने गलत दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी ने विरोध में कोई जवाबदावा या साक्ष्य पेश नहीं कर अनापत्ति प्रकट की है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि की प्रतियां एवं शपथ पत्र पेश किये हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि वादी का सही नाम शुभकरण है। पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य सही साबित होता है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उक्त दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष पुत्र पेमा के स्थान पर शुभकरण पुत्र पेमाराम अंकित करने का आदेश फरमाया जावे। तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार भी दावा पर कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि रोही कड़वासर के [illegible] तादादी 3.1490 हैक्टेयर जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा में वादी का नाम सु[illegible] पुत्र [illegible] दर्ज है जिनको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा [illegible] पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड की रसीद आदि की प्रतियां [illegible] सही नाम शुभकरण पुत्र पेमाराम अंकित है। दावा में प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति [illegible] की गई है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुभाष गलत दर्ज चला आ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:56 IST
Reason: SelfAttested

44 -

जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में सही नाम शुभकरण दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी वादी का नाम सुभाष पुत्र पेमा की बजाय शुभकरण पुत्र पेमाराम एवं दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों व शपथ पत्र से वादी का दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। इसलिए दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि रोही कड़वासर के ख.नं. 157/461 व 158 तादादी तादादी 3.1490 हैक्टेयर जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा में अंकित वादी का नाम सुभाष पुत्र पेमा खातेदार के स्थान पर शुभकरण पुत्र पेमाराम खातेदार संशोधित करने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्र सिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री बिजेन्द्र सिंह आर0ए0एस0

1. शुभकरण पुत्र पेमा राम प्रजापत निवासी गुसाई जी के मन्दिर के पास, कड़वासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 31 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री अनन्तराम सोनी, विनोद कुमार सोनी वादीगण एडवोकेट्स वादीगण मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि, रोही कड़वासर खसरा नं. 157/461 व 158 कुल खसरो 2 तादादी 3.1490 हैक्टेयर जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा वादीगण का नाम सुभाष पुत्र पेमा के स्थान पर शुभकरण पुत्र पेमाराम अंकित करने का आदेश दिया जाता है, शेष अंकन यथावत् रहेगा। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादीगण की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16 माह जनवरी सन् 2025 को जारी की गई।

(बिजेन्द्र सिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:56 IST
Reason: SelfAttested